मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक. जी-27-3/2002/सी/चार

भोपाल, दिनांक 07 मार्च, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषयः- समस्त विभागीय योजनाओं की समीक्षा हेतु स्थायी सक्षम समितियों का गठन।

समय -समय पर विभिन्न स्तरों पर यह चिंता व्यक्त की जाती रही हैं कि शासकीय विभागों में एक पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किसी परियोजना प्रारंभ होने के बाद उसकी परीक्षण अथवा समीक्षा नही होती और वह निरंतर चलती रहती है। केन्द्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक परियोजना की समीक्षा सक्षम समिति के द्वारा की जाती है। जिसमें प्रत्येक परियोजना के परिणाम का आंकलन किया जाता है और उस आधार पर उसे उसी रूप में अथवा संशोधित रूप में जारी रखने या नही रखने का निर्णय लिया जाता है। इस आदेश के जारी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। स्थायी समितियां नवीन परियोजना के परीक्षण के साथ पुराने परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे।

2. इस व्यवस्था के अंतर्गत अब समस्त योजनाओं की समीक्षा एवं परीक्षण निम्नलिखित तीन वित्तीय समितियों द्वारा किया जाएगा:-

1. स्थायी वित्तीय समिति (Standing Finance Committee)
2. वित्तीय व्यय समिति (Expenditure Finance Committee)
3. परियोजना परीक्षण समिति (Project Screening Committee)

इन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा उनके वित्तीय अधिकार संलग्न परिशिष्ट एक के अनुसार होंगे।

3. नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के उपरांत दसवीं पंचवर्षीय योजना दिनांक 1.4.2002 से प्रारंभ होगी। ये समितियां दसवीं योजना के तहत, नई योजनाओं का परीक्षण करेंगी। इन समितियों के समक्ष योजना के उद्देश्य, बीती हुई आयोजना अवधि के दौरान उसकी भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां और उस पर कुल किए गए वर्षवार व्यय का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) में किया जाएगा। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सुस्पष्ट यह भी दिया जाएगा कि योजना किस रूप में जारी रहना प्रस्तावित है और उसमें दसवीं योजना के दौरान कितनी राशि व्यय की जाना प्रस्तावित है तथा उक्त योजना में भौतिक एवं अन्य क्या उपलब्धियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा योजना के संबंध में अन्य अनुषांगिक जानकारी भी दी जावेगी।

4. पैरा-दो में दर्शाई गई समितियों के समक्ष योजनाओं की सहमति के लिए प्रथमतः प्रशासकीय विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार की जाएगी। प्रशासकीय विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली डी.पी.आर. संलग्न परिशिष्ट दो के अनुसार होगी। प्रशासकीय विभाग द्वारा डी.पी.आर. के आधार तैयार की गई संक्षेपिका को परीक्षण के लिए वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर निर्धारित समय में अपना अभिमत अंकित करते हुए प्रस्ताव विभाग को वापस किया जाएगा। समिति की बैठक में वित्त विभाग के प्रभारी सचिव पूर्व अभिमत के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त कर वित्त विभाग का अंतिम मत बैठक में देंगे। प्रशासकीय विभाग द्वारा बैठक का आयोजन प्रशासकीय विभाग की सुविधा के अनुरूप किया जावेगा। बैठक की कार्रवाई विवरण प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त सचिव के अनुमोदन के उपरांत ही जारी किया जाएगा। प्रशासकीय विभाग सुनिश्चित करेगा कि कार्रवाई विवरण में सचिव वित्त द्वारा व्यक्त किए गए विचार अक्षरशः अंकित किए जाएंगे। परियोजना को लेकर प्रशासकीय विभाग के मत एवं सचिव वित्त के मत में अंतर है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे प्रकरण मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर प्रशासकीय विभाग के सचिव एवं मंत्री के मत में अंतर होगा तो वह प्रकरण समन्वय में भेजा जाएगा। स्पष्ट है कि इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय के प्रस्ताव पुनः परीक्षण के लिए वित्त विभाग को नहीं भेजे जाएंगे। समितियों के द्वारा दिए गए प्रत्येक अनुमोदन को मंत्रालय स्थित एन. आई. सी. http://samiksha/csmonit/main mantralay द्वारा एक विशिष्ट क्रमांक दिया जाएगा और इस क्रमांक का उल्लेख किए बगैर किसी भी योजना अथवा परियोजना से संबंधित किसी देयक का भुगतान कोषालय द्वारा नही किया जाएगा। इस विषयक जानकारी पृथक से भेजी जायेगी।

5. सामान्यतः कोई भी मद उपरोक्त समितियों के अनुमोदन के बिना बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि वर्ष 2002-2003 के बजट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। विभागों द्वारा प्रस्तुत वर्तमान योजनाओं को यद्यपि बिना समितियों के अनुमोदन के बजट में शामिल किया गया है फिर भी उन पर व्यय तब तक नही किया जा सकेगा, जब तक उन्हें सक्षम समिति का अनुमोदन प्राप्त न हो। ऐसे समस्त पुराने अथवा नवीन परियोजनाओं को अगस्त 2002 तक प्रशासकीय विभाग द्वारा अपनी समस्त योजनाओं का सक्षम समिति से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा और तद तक के लिए उन्हें योजनाओं को वर्तमान

स्वरूप में जारी रखने की अनुमति रहेगी। इसके लिए विभागों के पास अब से लेकर अगस्त 2002 तक पर्याप्त समय उपलब्ध है और विभाग इस अवधि में समितियों से अनुमोदन प्राप्त कर लें। इस कार्य की जिम्मेदारी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की होगी कि वे इस कार्य को समयावधि में पूरा करायें।

6. सक्षम समिति के द्वारा अनुमोदन के उपरांत किसी पंचवर्षीय योजना अवधि में रूपये 25.00 करोड से अधिक राशि व्यय होने वाली प्रत्येक योजना का अनुमोदन मंत्रिपरिषद से लिया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जितनी भी रूपये 25.00 करोड तक की योजनाओं के संबंध में एक समग्र प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष जून माह में मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

7. इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सुदीप बनर्जी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट-एक

प्रशासकीय विभागों की पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति के लिए गठित समितियों का विवरण

क्र.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष	समिति के सदस्य *	पंचवर्षीय योजना के पांच वर्ष की अवधि के दौरान कुल परियोजना व्यय की स्वीकृति की सीमा	रिमार्क
1	स्थायी वित्तीय समिति (Standing Finance Committee)	प्रशासकीय विभाग के सचिव	1. सचिव वित्त विभाग, (संबंधित विभाग का कार्य देखने वाले-सचिव) 2. सचिव योजना मण्डल 3. विभागाध्यक्ष	रूपये 5.00 करोड तक	विभागीय मंत्री द्वारा अनुमोदन किया जावेगा।
2	वित्तीय व्यय समिति (Expenditure Finance Committee)	वित्त विभाग के प्रमुख सचिव	1. विभागीय सचिव 2.सचिव वित्त विभाग, (संबंधित विभाग का कार्य देखने वाले सचिव) 3. सचिव योजना मण्डल 4. विभागाध्यक्ष	रूपये 5.00 करोड से अधिक एवं रूपये 25.00 करोड तक	विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत वित्त मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा।
3	परियोजना परीक्षण समिति (Project Screening Committee)	मुख्य सचिव	1. विभागीय सचिव 2. सचिव वित्त विभाग, (संबंधित विभाग का कार्य देखने वाले सचिव) 3. सचिव योजना मण्डल	रूपये 25.00 करोड से अधिक	मंत्रिपरिषद का अनुमोदन आवश्यक होगा।

* 1. यदि राशि का व्यय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना या विशेष घटक योजना, के अंतर्गत है तो इस व्यय से संबंधित योजनाओं को स्वीकृत करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के सचिव को भी बैठक में आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा।

2. यदि समिति के मत में यह आवश्यक हो कि योजना पर विचार विमर्श करने के लिए निर्धारित सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी के मत की आवश्यकता हो तो, समिति ऐसे अधिकारी को बैठक के लिए आमंत्रित कर सकती है।

परिशिष्ट-दो

पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति हेतु गठित SFC/EFC/PFC की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) का प्रारूप

..... पंचवर्षीय योजना (2002-2007)	केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित/वाह्य सहायता प्राप्त/वित्तीय संस्थाओं सहायता प्राप्त/राज्य वित्त पोषित
भाग- 1. परियोजना का नाम	परियोजना अवधि (.... से..... तक)
भाग- 2. परियोजना क्षेत्र - जिला	
भाग- 3. मद-सामान्य /आदिवासी/विशेष घटक योजना	
भाग- 4. योजना का उद्देश्य (संक्षिप्त विवरण) तथा वित्तीय/भौतिक लक्ष्य	
भाग- 5. योजना प्रारंभ होने का माह तथा वर्ष अगर पूर्व से क्रियान्वित हो तो परियोजना का अद्यतन स्थिति (भौतिक तथा वित्तीय)	
भाग- 6. योजना किस रूप में जारी रखना प्रस्तावित है।	
भाग- 7. दसवीं योजना के दौरान कितनी राशि व्यय की जाना है?	
भाग- 8. योजना से और क्या अन्य उपलब्धियां प्राप्त होना है?	

पृ. क्रमांक. जी-27-3/2002/सी/चार

भोपाल, दिनांक 07 मार्च, 2002

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
7. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-I/2मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल,
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
16. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
19. अध्यक्ष, समस्त मान्यता प्राप्त संघ/संगठन।
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
22. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित।

(के.एन. पंत)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभो—2347—असविवि 8-3-2002—700.